8

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1361-दो/2004 - विरूद्ध आदेश दिनांक 26-8-2004 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 102/2003-04 निगरानी

गंभीर नाथ पुत्र रामावतार जोगी
ग्राम अकारी तहसील देवसर जिला सीधी ——आवेदक

विरूद्ध

1- किरीटीप्रसाद पुत्र शिवप्रसाद पाठक
2- बेदान्तीप्रसाद पुत्र शिवप्रसाद पाठक
ग्राम सुपेला तहसील देवसर जिला सीधी
3- मध्य प्रदेश शासन ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

(अनावेदकगण 1,2, सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 01-11-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 102/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-8-2004 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क-1,2 ने तहसीलदार देवसर को आवेदन देकर मांग रखी कि ग्राम अकोरी की भूमि सर्वे क्रमांक 113/19 रकबा 1.00 तथा 113/18 रकबा 4 एकड़ पर उसका वर्ष 1975-76 के पूर्व कब्जा है इसलिये भूमि का व्यवस्थापन किया जावे। तहसीलदार देवसर ने आदेश दिनांक 16-2-84 पारित करके भूमि व्यवस्थापन कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी के समक्ष अपील हुई। अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी ने तहसीरलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः

सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इसके वाद आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने तहसीलदार देवसर का आदेश दिनांक 16-2-84 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। तहसीलदार देवसर ने प्रकरण कमांक 7-अ-19/ 2001-02 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों की सुनवाई करते हुये आदेश दिनांक 4-3-2002 से दावा सॅशोधन की स्वीकृति प्रदान की। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर बेढ़न के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर बेढ़न जिला सीधी ने प्रकरण कमांक 164/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-6-2004 से निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार देवसर का आदेश दिनांक 4-3-2002 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 102/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-8-2004 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आयुक्त, रीवा संभाग रीवा से प्रकरण प्रत्यावर्तन में प्राप्त होने के वाद तहसीलदार देवसर ने प्रकरण कमांक 7-अ-19/ 2001-02 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों की सुनवाई करते हुये आदेश दिनांक 4-3-2002 से व्यवस्थापन आदेश की पुष्टि की है जिसे अपर कलेक्टर बेढ़न ने निरस्त करने में भूल की है क्योंकि आवेदक का वाद विचारित भूमि पर 1975-76 के पूर्व से कब्जा प्रमाणित है । आवेदक के पक्ष में हुआ भूमि व्यवस्थापन पात्रतानुसार है जिसे अपर कलेक्टर बेढ़न ने गलत आधारों पर निरस्त किया है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 26-8-2004 पारित करते समय मामले की गहराई में न जाते हुये सरसरी तौर पर निगरानी निरस्त की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार देवसर का आदेश दिनांक 4-3-2002 यथावत् रखा जावे।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार देवसर के आदेश दिनांक 4-3-2002 के कम में अपर कलेक्टर बेढ़न जिला

सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-6-2004 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपर कलेक्टर बेढ़न द्वारा तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने हेतु निम्नानुसार आधार लिया है :-

"अधीनस्थ न्यायालय के मूल प्रकरण का अद्योपरांत अवलोकन किया गया, अवलोकन पश्चात् यह तथ्य प्रकाश में आया कि तहसीलदार देवसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4-3-2002 में ऐसी कार्यवाहियां की गई है जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को विधिवत् सुनने के पश्चात् दावा संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाकर प्रकरण आवेदक की साक्ष्य हेतु नियत किया गया है ।"

अपर कलेक्टर बेढ़न के उक्त निष्कर्ष का यही आशय है कि तहसीलदार ने जब उभय पक्षों को सुन लिया था तब दावा सॅशोधन किये जाने का निर्णय लेते हुये आवेदक की साक्ष्य हेतु अंतरिम आदेश दिनांक 4-3-2002 से पेशी नियत करना नियम एंव प्रकिया के विरूद्व कार्यवाही है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 102/2003-04 निगरानी में आदेश दिनांक 26-8-2004 पारित करते समय अपर कलेक्टर, बैढ़न के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। वर्तमान नियमों में भूमि बन्टन/ व्यवस्थापन की शक्तियॉ तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायव तहसीलदार से वापिस ली जाकर कलेक्टर में वेष्ठित हैं जिसके कारण तहसीलदार को भूमि व्यवस्थापन की अधिकारिता न रहने से विचाराधीन निगरानी व्यर्थ हो गई है। आवेदक चाहे- वर्तमान बंटन/व्यवस्थापन अधिकारी को तदाशय का मांग आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । फलस्वरूप अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 102/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-8-2004 यथावत् रहता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर